न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर ए एस

अपील संख्या 37/2017

जगीरसिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मुंशीराम पुत्र श्रीमती धन्ना पत्नी गुरबचनसिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगालगर।

———रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर
दिनांक 31.01.2017

उपस्थिति
श्री गुरचरणसिंह , अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रामेश्वरी सुथार, अभिभाषक रेस्पो.स.1
श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः— 24.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि वादी की माता धन्नो तथा मुंशीराम एवं जगीरसिंह के नाम से चक 5पी बडी के मु.न. 2 के कि.न. 1 से 25 की ब.हि.ब. भूमि खातेदारी दर्ज थी । जगीरसिंह द्वारा अपने हिस्से की 1/3 भूमि में से 8 बीघा भूमि मिठुराम को विकय की गई। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। मु.न. 2 की 25 बीघा भूमि का आपसी सहमति से नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट से करवाया गया जिस पर

24/7/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विभाजन आदेश दिनांक 26.07.99 के आधार पर इन्तकाल दर्ज किया गया । इन्तकाल के आधार पर जमाबंदी में इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का द्वारा उक्त रकबा खाता सं0 15/14 मिन में दर्ज करते समय धन्नो तथा प्रतिवादी सं. 1 का नाम गलत तौर से काट छाटकर रकबा दर्ज कर दिया गया। रकबा का गलत इन्द्राज का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिवादी सं01 उक्त 2.192 है. में से निस्फ हिस्सा को मुन्तकिल करने की कोशिश में है जबकि वास्तव में इस रकबा में प्रतिवादी सं01 का केवल मात्र 6–2/3 बिस्सा ही है। जबकि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम कर्मचारीगण माल की गलती से 2.192 है. का 1/2 हिस्सा दर्ज है। धन्नो का देहान्त दिनांक 28.03.2015 को हो गया जिसके जायज वारिस वादी तथा प्रतिवादी सं. 3 से 9 है। जिनके द्वारा इन्तकाल दर्ज करवाने की कोशिश की तो पता चला कि धन्नों के नाम से केवलमात्र 1.096 है. भूमि ही दर्ज है। अप्रार्थी सं0 1 राजस्व रिकार्ड में भूमि गलत से अधिक दर्ज हो जाने का अनुचित लाभ उठाकर अपने हक से अधिक रकबा को मुंतकिल करने एवं अप्रार्थी को बदेखल करने की कोशिश में हैं। यदि ऐसा करने में वह सफल हो गया तो वादी/प्रार्थी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह विवादित भूमि को रहन बैय नहीं करें ।

अप्रार्थी ने जबाव प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोर द्वारा दर्ज इन्तकाल के अनुसार धन्नो व जगीरसिंह के नाम कुल 8 बीघा साढे 13बिस्वा संयुक्त रूप से दर्ज किया गया है। प्रार्थी गलत तौर से कांट छाट दिखाकर न्यायालय को गुमराह करना चाहता हैं । प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रा.पत्र खारिज किया जावें।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

24/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया विभाजन दस्तावेज दिनांक 26.07.1999 के आधार पर अपीलांट मौके पर 1.096 है. भूमि परकाबिज है उसी दस्तावेज के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा गलत तौर से रेस्पो.1 को काबिज होने का कथन किया है जो गलत है। रेस्पो. ने यह स्वयं माना है कि अपीलांट का कब्जा 1.192 है. के निस्फ 1.096 है. जो कि अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पर काबिज है । इस प्रकार रेस्पो.का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अधी.न्यपायालय ने प्रा.पत्र स्वीकार कर लिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं.1 के नाम से गलत तोर से काटछाट कर रकबा दर्ज कर दिया गया था एवं जिसके आधार वे भूमि को रहन बेय करना चाहते थे जिस पर अधी.न्यायालय में वाद एवं प्रा.पत्र पेश किया । अधी.न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

रेस्पो. ने अपने प्रा.पत्र में मुख्य यह आधार लिया है कि कर्मचारियों की मिली भगत से काटछांट की गई है । इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा । अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2066–2069 के अनुसार धन्नो का 1.096 है. व जगीरसिंह का 1.096 है. भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जंगीरसिंह विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है । रेस्पो. मुशीराम का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है। इस प्रकार अधी. न्यायालय ने अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के

24/11/11
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जो आदेश दिये है वे न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर